युनाइटेड इंडिया
UNITED INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कं. लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

### बीमा कंपनीयों में भ्रष्टाचार चरम पर

# फर्जी दावा प्रकरण बनाकर ५ लाख रूपये का लोकअदालत में समझौता

पर्दाफाश ....

**इन्दौर:** बीमा कंपनीयों के कारोबार में सभी सरकारी बीमा कंपनीयों में घाटा दर्शाया जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि बीमा कंपनीयों में मोटर दुर्घटनाओं के पश्चात दिये जाने वाले अवार्ड की वजह से इस प्रकार का घाटा हो रहा है. लेकिन हकीकत तो यह है कि बीमा व्यवसाय एक तरह से कभी भी घाटे का व्यवसाय नहीं है बल्कि सदैव यह एक प्रोफिट वाला बिजनेस है. घाटा होने का मुख्य कारण यह है कि सभी सरकारी कंपनीयों में एक ऐसा भ्रष्टाचार का तंत्र काम कर रहा है जो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिये अपनी ही कंपनी को करोड़ों रूपयों की अनाधिकृत आर्थिक हानि पहुँचा रहे है और इसी वजह से वह दिन अब दूर नहीं जब लगातार घाटे की वजह से इन सरकारी बीमा कंपनीयों को बन्द करने की स्थिती आ जाये.

बीमा उघोग में इस प्रकार के घाटे का मुख्य कारण यह है कि यहाँ प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार ईश्वर के समान फैल चुका है. यहाँ चपरासी से लेकर कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के द्वारा भ्रष्टाचार को एक संक्रमण रोग की तरह फैलाया जा रहा है या इस पूरी चेन में शामिल ये व्यक्ति या तो स्वयं तो ईमानदार है लेकिन वे भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जाने पर उस पर कोई कार्रवाही नहीं करते है केवल आंखें मूदकर अपना कार्य करते रहे है और इसी कारण से बीमा कंपनीयों में भ्रष्टाचार एक लाईलाज बीमारी की तरह फैल रहा है अब भ्रष्टाचार के इस तंत्र को समाप्त करना अब असंभव तो नहीं यद्पि बहुत कठिन है.

वर्ष २००० में यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी के चेन्नेई स्थित प्रधान कार्यालय के अंर्तगत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के इन्दौर स्थित एक कार्यालय में एक आर्थिक घोटाला जिसमें कंपनी के विभिन्न अधिकारीयों व कंपनी के पेनल अधिवक्ता एवं बीमाधारक के साथ आपस में संगन्नमत होकर अपनी ही कंपनी के साथ विश्वासघात और घोखाधड़ी कर एक फर्जी दावा प्रकरण को तैयार किया कर कंपनी से ५लाख रूपयों को लुटा गया. सूत्रों के अनुसार अधिकारीयों और बीमाधारक के द्वारा सरकारी खजाने से ५ लाख रूपये लुटने के पश्चात इस दावा फाईल को गायब कर दिया गया ताकि यदि भविष्य में इस मामल की जाँच हो तो उक्त रिकार्ड नहीं मिले और सरकारी खजाना या लोकधन को लुटने वाले इस मामले में साफ बच जाये.

## क्या है आर्थिक घोटाला

यह आर्थिक घोटाला यूनाईटेड इंडियां इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के भोपाल (मध्यप्रदेश) के अंतर्गत आने वाले इन्दौर स्थित लिगल विभाग के सहा.प्रबन्धक एम.आई.शेख व उनके अन्य सहयोगीयों ने हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसिडेंट श्रीलाला मुन्दड़ा के साथ आपस में संगन्नमत होकर बीमा कंपनी से रूपये-५,००,००० रूपये लुटने का षड़यत्र रचा और मोटर दुर्घटना दावा की एक फर्जी फाईल को तैयार किया गया.

इस आर्थिक घोटाले में हिन्द सिन्टेक्स के एक उच्चाधिकारी श्रीलाल मूँदडा दिनांक-१३.०१.२००० को सांय ७-८ बजे जब अपनी ही कंपनी के वाहन मारूती स्टीम जिसका नम्बर-एमपी-०९-एचए-९८१८ में अपनी कंपनी के कार्य से विपुखेड़ी फेक्ट्री से इन्दौर भोपाल राजमार्ग मेहतवाड़ा से तीन किलोमीटर आष्टा की तरफ आ रहे थे तब अचानक उनकी कार को किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई. इस दुर्घटना में उनकी कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में उन्हें चोटे आई.

इस घटना की रिपोर्ट हिन्द सिन्टेक्स के ड्राईवर नंदकिशोर के द्वारा दिनांक-१४.०१.२००० को इस घटना की सूचना मेहतवाड़ा थाने को दी गई जिसमें उन्होंने १५४ अदम चेक रिपोर्ट क्र-६/२००० (अहस्तक्षेप योग्य अपराध ) अर्थात ऐसे मामलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है, सूचना दी गई जिसमें ड्राईवर नंदकिशोर के द्वारा यह लिखा गया कि अज्ञात वाहन के द्वारा उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ तथा घबराहट में रिपोर्ट नहीं की तथा किसी को कोई खास चोट नहीं आई है.

इस घटना के पश्चात श्रीलाल को बहुत चोट आई और वे गगरानी नर्सिग होम देवास में उनका प्राथमिक उपचार हुआ इसके पश्चात वे इन्दौर के गोकुलदास अस्पताल में दिनांक-१४ से २४ जनवरी २००० तक भरती रहे.

दिनांक-२०.०४.२००० को हिन्द सिन्टेक्स के इस अधिकारी के अधिवक्ता के द्वारा एक एमएसीटी क्लेम तृतीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इन्दौर के समक्ष एक प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र अर्तगत धारा-१६६ सहपठित धारा १४० मोटर व्हीकल एक्त के तहत मुकदमा तीन विपक्षीयों जिसमें प्रथम वाहन के मालिक अर्थात नियोक्ता हिन्द सिन्टेक्स-देवास दूसरा वाहन के ड्राईवर नंदकिशोर पिता विठ्ठलराव निवासी द्वारा- हिन्द सिन्टेक्स देवास तथा तीसरा विपक्षी द यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड , शनिवार दपर्ण प्रेस, इन्दौर जहाँ इस हिन्द सिन्टेक्स के वाहन का बीमा था, प्रस्तुत किया. इस आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों के रूप में एफआईआर, डिस्चार्ज कार्ड, बीमा, रजीस्ट्रेशन व लायसंस को की छायाप्रति को प्रस्तुत होना बताया गया.

प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र जिसमें उसके द्वारा प्रतिकर की मांग की गई थी जिसमें घटना का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया था जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे कि -

(अ)- यह कि, घटना के पूर्व प्रार्थी श्रीलाल पिता पन्नालाल मुन्दड़ा की आयु ५२ वर्ष होकर वह मेसर्स हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड देवास में प्रेसीडेन्ट की उच्च श्रेणी के पद पर कार्यरत होकर प्रार्थी का वेतन ६,५८,०७५/- रूपये वार्षिक होकर अन्य सुविधाएं भी उसे उपलब्ध होती थी. प्रार्थी द्वारा आयकर भी नियमानुसार अदा करता था. प्रार्थी तिक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होकर उसका दिन मैं काफी समय लिखने का कार्य होता था तथा प्रार्थी का भविष्य काफी उज्जवल होकर भविष्य में उसकी और भी उन्नती के अवसर थे.

(ब).-यह कि, घटना दिनांक-१३.०१.२००० को प्रार्थी विपक्षी क्रमांक-एक के स्वामित्व की वाहन मारूति स्टीम क्रमांक-एमपी-०९-एचए-९८१८ में बहैसियत पेनेन्जर नाते से सवारहोकर विपुखेड़ी फेक्ट्री से वापिस आ रहे थे, तभी सायंकाल ७-बजे के बरीब इन्दौर भोपाल राजमार्ग पर मेहतवाड़ा से ३ किलोमीटर आष्टा की तरफ विपक्षी क्रमांक दो द्वारा उपरोक्त वाहन को तेजी

व लापरवाही से स्वरूप प्रार्थी गंभीर रूप से घायल होकर पुरी मारूति कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई प्रार्थी को संपूर्ण शरीर में गंभीर प्राणघातक चोटें आयी होकर जैसे-तैसे स्वयं ही उक्त मारूति कार में से निकला तथा गगरानी नर्सिग होम देवास में अपना प्राथमिक उपचार करवाया तथा घटना की रिपोर्ट पालिस थाना जावर जिला सिहोर में दर्ज की गई जहां पर विपक्षी क्रमांक-२ के विरूद्ध फौजदारी जुर्म पंजीबद्ध किया है.

(स)- यह कि, प्रार्थी को शरीर में आयी प्राणघातक चोटों की वजह से प्रार्थी ने अपना उपचार गोकुलदास अस्पताल इन्दौर में करवाया. प्रार्थी को सदर दुर्घटना में मुँह के अन्दर १० टांके आये होकर प्रार्थी के उल्टे हाथ की कोहनी के उपर फ्रेक्चर होकर आपरेशन कर स्टील की प्लेड डाली गई तथा प्रार्थी के बाये पैर में मल्टीपल ७ फ्रेक्चर हो गये तथा प्रार्थी घुटने उपर से ऐडी तक आपरेशन कर प्लेट डाली गई है. प्रार्थी के दाहिने हाथ के कार एवं कन्धे में फ्रेक्चर हो गया होकर प्रार्थी के दाहिनी हाथ की भुजा की नस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो यी जिसका ई.एम.जी. टेस्ट कराने पर सीधे हाथ से संसेशन नहीं पाया गया होकर संपूर्ण शरीर में अन्दरूनी चोटे आई होकर स्थाई रूप से अयोग्यता व अपंगता कारित हो गयी है.

(द)- यह कि, सदर दुर्घटना में आयी गंभीर प्राणघातक चोटों की वजह से दुर्घटना दिनांक से ही प्रार्थी का इलाज आज तक सतत रूप से जारी है, जिसमें प्रार्थी का अभी इलाज आज भी जारी है, जिसमें प्रार्थी का अभी इलाज, दवाई, फल-फूल, दूध, स्पेशन डायट एवं अटेन्डेन्ट आदि में करीब १,००,००० रूपये व्यय हो गया है . चूकि प्रार्थी का इलाज अभी जारी है अतएवं भविष्य में और भी खर्च करीब १,००,००० रूपये व्यय होने की संभावना है. प्रार्थी के बाये हाथ एवं घुटने से ऐड़ी तक जो पैरो में राड लगी डली हुई है, उसको आपरेशन द्वारा निकलवाने में भी प्रार्थी को काफी रूपया व्यय होगा.

(द)- यह कि, सदर दुर्घटना में आयी गंभीर प्राणघातक चोटों के कारण प्रार्थी को काफी मानसिक तथा शारीरिक कष्ट उठाना पड़े है तथा अपंगता की वजह से प्रार्थी के हाथों से लिखाई नहीं होती है, ना ही वह किसी प्रकार से दैनिक कार्य कर पा रहा है. प्रार्थी एम.काम., एल.एल.बी. उत्तीर्ण होकर चार्टट एकाउंटेंट है.....

(फ)- यह कि, सदर दुर्घटना पूर्ण रूप से विपक्षी क्रमांक-दो की वाहन मारूति स्टीम कार क्रमांक एमपी-०९-एचए-९८१८ को तेजी व लापरवाही से चलाने के परिणाम स्वरूप घटीत हुई होने से तथा विपक्षी क्रमांक दो के साथ साथ विपक्षी क्रमांक -एक सदर यान का स्वामी होने के नाते व विपक्षी क्रमांक तीन के यहा पर सदर यान घटना दिनांक को बीमित होने से प्रार्थी को बीमित होने पर प्रार्थी को क्षतिधन अदायगी की जवाबदारी तीनों विपक्षीगणो की संयुक्त रूप से पृथ्क पृथक रूप से आती है.

उपरोक्त आवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक २५.०४.२००० को प्रकरण रिसीविग सेक्शन से दूसरे न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहाँ प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया आदेश दिया गया कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी का तलवाना रजीस्टर्ड एवं साधारण डाक से सूचना पत्र जारी करने का लिखा गया.

## कैसे प्रायोजित हुआ आर्थिक घोटाला

न्यायालय द्वारा यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य दो को जब संमन जारी हुआ तथा कंपनी के लिगलविभाग कें अधिकारी एम.आई. शेख ने यह पाया कि चूकि उपरोक्त एमएसीटी का दावा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार भुगतान योग्य नहीं है क्योंकि क्लेमेट अपनी ही कंपनी की गाड़ी में अपनी ड्यूटी पर फेक्ट्री से आ रहा था और तथा कंपनी की गाड़ी को अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर हुई है इस कारण यह मामला हिट एडं रन का बनता है तथा किसी भी रूप में यह प्रकरण एमएसीटी के तहत प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि जब अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई है तो एमएसीटी प्रकरण लगाया ही नहीं जा सकता है. एम.आई. शेख के द्वारा इस प्रकरण में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसिडेंट श्रीलाल मुन्दड़ा को अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की नियत से उक्त आर्थिक घोटाला जिसमें अपनी ही कंपनी के साथ घोखाधड़ी और विश्वास कर एक अपराधिक षड़यत्र कर बीमा कंपनी से ५ लाख रूपये लुटने की योजना बनाई गई.

इस योजना के तहत कंपनीयों के अधिकारीयों सलाह पर क्लेमेट के द्वारा न्यायालय में एक एम.ए.सी.टी. का प्रकरण न्यायालय में लगाया गया. चूकिं श्रीलाल मुन्दड़ा की दुर्घटना एक अज्ञात वाहन से हुई थी इस कारण उस गाड़ी का नम्बर नहीं था इस कारण एम.ए.सी.टी. प्रकरण न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता था. इस कारण एम.आई.शेख के द्वारा श्रीलाल मुन्दड़ा को सलाह दी गई कि आप अपनी ही कंपनी हिन्द सिन्टेक्स जिसका बीमा यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड की देवास शाखा में है उसे तथा हिन्द सिन्टेक्स तथा गाड़ी के ड्राईवर के उपर एम.ए.सी.टी. का प्रकरण न्यायालय में लगा दो इस मामले में हम कंपनी के नियमों के विपरीत जाकर आपको अच्छा कंपनसेशन दिलायेगे और इसी योजना के तहत कंपनी के एम.आई.शेख व हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसीडेंट श्रीलाल मुन्दड़ा के द्वारा एक आर्थिक घोटाला प्रायोजित किया.

इस आर्थिक घोटाले में कंपनी के अधिकारी एम.आय.शेख ने हिन्द सिन्टेक्स के श्रीलाल मुन्दड़ा से संगन्नमत होकर सरकारी खजाना लुटने की योजना बनाई और श्रीलाल मुन्दड़ा की दुर्घना का फायदा उठाने के लिये एक एम.ए.सी.टी. प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करवाया और कंपनी के पेनल अधिवक्ता की मदद ने भी इस षड़यत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की . लिगल आफिसर एम. आई. शेखइस मामले में अपने एक विश्वस्त इनवेस्टीगेटर से इस मामले की जाँच करवाई गई इस प्रकरण में जब न्यायालय द्वारा प्रकरण में बीमा कंपनी को समन जारी किया तो कंपनी के पेनल अधिवक्ता ने लिगल आफिसर शेख के निर्देशानुसार उसके जवाब हेतु लगातार समय मांगते रहे और कुछ माह पश्चात उक्त प्रकरण में दिनांक-५.१२.२००१ को कंपनी के एक अन्य पेनल अधिवक्ता का ओपीनीय लेकर इस मामले में एक षड़यत्र के तहत लोक-अदालत में समझौता कर लिया.

इस प्रकरण में न तो एफ.आई.आर और न ही एम.एल.सी. क्लेमेट की हुई है. केवल दुर्घटना दिनांक१३.०१.२००० के दूसरे दिन हिन्द सिन्टेक्स के ड्राईवर नंदकिशोर के द्वारा १५४ अदम चेक रिपोर्ट क्र-६/२००० (अहस्तक्षेप योग्य अपराध ) अर्थात ऐसे मामलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है, सूचना दी गई जिसमें ड्राईवर नंदकिशोर के द्वारा यह लिखा गया कि अज्ञात वाहन के द्वारा उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ तथा घबराहट में रिपोर्ट नहीं की तथा किसी को कोई खास चोट नहीं आई है. जब दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का ड्राईवर के द्वारा यह बात स्वीकार की है कि वह एफ.आय.आर. दर्ज नहीं करना चाहता है क्योंकि किसी को कोई खास चोट नहीं आई है तो इसके पश्चात क्लेमेट को इतनी चोट कैसे आई यह विचारणीय प्रश्न है. इस प्रकरण को हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसीडेंट श्रीलाल मुन्दड़ा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में एम.ए.सी.टी. प्रकरण लगाया और चूकिं यह दावा न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं था इस कारण इस मामलें में बीमा कंपनी के लिगल आफिसर एवं अन्य अधिकारीयों के साथ संगन्नमत होकर इस मामले को लोक अदालत में सेटल कर लिया गया.

## न्यायालय में यह दावा प्रचलन योग्य क्यों नहीं

इस प्रकरण में जिसमें हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसिडेंट श्रीलाल मुन्दड़ा अपनी ही कंपनी की मारूति स्टीम कार से विपुखेड़ी स्थित फेक्ट्री से वापस आ रहे थे और इसी दौरान एक अज्ञात वाहन से उनकी कार को टक्कर मारी गई जिससे उन्हें चोटे आई. एमएसीटी क्लेम प्रकरण उस वाहन पर लगाया जाता जो ज्ञात वाहन हो अज्ञात वाहन पर किस आधार पर उक्त प्रकरण नहीं लगाया जा सकता था.

यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड जिस पर हिन्द सिन्टेक्स के प्रेसिडेट श्रीलाल मुन्दड़ा के द्वारा एम.ए.सी.टी. क्लेम लगाकर उसे लोक-अदालत में समझौता किया. यह प्रकरण कंपनी के द्वारा जारी हिन्द सिन्टेक्स कंपनी की कार जिसका बीमा यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लि. पर लगाया ही नहीं जा सकता था क्योंकि कंपनी द्वारा जारी Private Car "B" Policy के Section-II Liability to Third Party के Point 1- Subject to the limits of liability as laid down in the schedule hereto the company will indemnify the In-become legally liable to pay in respect of -

(a) death or bodily injury to any person including occupants carried in the motor car ( Provided such occupants are not carried for hire or reward) but except so far as it is necessary to meet the requirements of Motor Vehicles Act 1988 the **Company shall not be liable where such death or injury arises out of and in the course of the employment of such person by the Insured.**

पॉलिसी की शर्त से यह स्पष्ट है श्रीलाल मुन्दड़ा के द्वारा यह दावा प्रकरण अपनी ही कंपनी मेसर्स हिन्द सिन्टेक्स जिसमें वह एक प्रेसीडेंट के रूप में कार्यरत थे तथा वेतन पाते थे पॉलिसी की शर्ते के मुताबिक वह अपनी ही कंपनी की कार पर यह दावा नहीं लगा सकते थे.

## प्रकरण का समझौता लोक-अदालत में करने का कारण.

उक्त प्रकरण को लोक-अदालत में इसलिये किया गया क्योंकि न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण की फाईल में निम्न दस्तावेज मौजूद नहीं थे और न ही इन दस्तावेजों को क्लेमेट द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते थे-

१. इस मामले में पुलिस में एफ.आय.आर. के स्थान पर १५४ सीआरपीसी के अदम चेक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि किसीको कोई खास चोट नहीं आई है. चूकि प्रकरण में एफ.आई.आर नहीं की है व प्रकरण में एम.एल.सी. अर्थात चोट लगने के पश्चात किसी भी चिकित्सक का प्राथमिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र नहीं है. यदि ईलाज प्रायवेट अस्पताल द्वारा किया जाता है तो प्रायवेट अस्पताल द्वारा संबंधित थाने को सुचना.

२. इस प्रकरण में चूकि एफ.आय.आर.दर्ज नहीं है इस कारण पुलिस की फायनल रिपोर्ट भी प्रकरण की फाईल में नहीं है.

३. नक्शा मौका नहीं है.

४. जप्ती पंचनामा मौजूद नहीं है.

५. गिरफ्तारी पंचनामा मौजूद नहीं है.

६. वाहन जाँच रिपोर्ट जो मोटल टेक्नीकल आफिसर द्वारा जारी की जाती है.

७. अस्पताल से संबंधित चिकित्सा संबंधी दस्तावेज एक्स रे रिपोर्ट, डीस्चार्ज कार्ड व दवाईयों के बील

ये सभी दस्तावेजों को क्लेमेट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे इस कारण उक्त दावा न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने से क्लेमेट और बीमा कंपनी के अधिकारीयों ने आपस में संगन्नमत होकर घोखाधड़ी और विश्वासघात कर उक्त प्रकरण का समझौता लोक अदालत में कर सरकारी खजाने को लुटर ५ लाख रूपये हड़प लिये. इस प्रकार के कितने और प्रकरण में इसी प्रकार का समझौता हुआ यह विचारणीय विषय है.

### लोक-अदालत में समझौते के वक्त प्रकरण की फाईल में केवल निम्न दस्तावेज मौजूद थे क्या इस आधार पर समझौता किया जा सकता था ?

१. आवेदन पत्र-अन्तर्गत धारा-१६६ सहपठित धारा १४० मोटर व्हीकल एक्ट प्रतिकर के लिये आवेदन पत्र.

२. क्लेमेट का वकील पत्र.

३. १५४ सीआरपीसी के अदम चेक रिपोट की छायाप्रति.

४. डिस्चार्ज कार्ड की छायाप्रति.

५. रजीस्ट्रेशन

६. लायसंस.

# इस अपराधिक षड़यन्त्र जिसमें सरकारी खजाने से ५ लाख रूपये लुटे गये उसकी मोडस अपरेंडी

- न्यायालय द्वारा यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को जब संमन जारी किया गया तो कंपनी के लिगल अधिकारी एम.आई. शेख के द्वारा अपने उच्चाधिकारीयों की सहमती से इस प्रकरण की पैरवी के लिये दिनांक-०४.०८.२००० को कंपनी के एक पेनल अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी.

- इस अधिवक्ता ने इसी दिनांक को न्यायालय में अपना वकील पत्र प्रस्तुत कर दिया. न्यायालय द्वारा जवाब हेतु दिनांक-१९.०८.२००० तारीख लगी.

- दिनांक-१९.०८.२००० को कंपनी के पेनल अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा विपक्षी क्रमांक-१ व २ के द्वारा जवाब नहीं देने पर उन्हें पुन: नोटीस जारी किया.

- दिनांक-१४.१०.२००० को भी कंपनी के पेनल अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं तथा विपक्षी क्रमांक-१ व २ के द्वारा जवाब नहीं देने पर उन्हें पुन: नोटीस जारी किया.

- दिनांक-१६.१२.२००० को कंपनी के पेनल अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा विपक्षी क्रमांक-१ व २ के द्वारा जवाब नहीं देने पर उन्हें एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

- दिनांक-१५.१.२००१ को कंपनी के पेनल अधिवक्ता ने जवाब हेतु समय चाहा.

- दिनांक-०२.०२.२००१ को कंपनी के पेनल अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रस्तुती अथवा राजीनामा प्रस्तुती हेतु समय चाहा.

- दिनांक-२१.०३.२००१ को प्रार्थी श्रीलाल मुन्दड़ा के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर उक्त प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक-१८.०३.२००१ को रखे जाने के लिये आवेदन दिया.

- दिनांक-१८.०३.२००१ को कंपनी के अभिभाषक व प्रार्थी श्रीलाल मुन्दड़ा के अभिभाषक के द्वारा न्यायालय में लोकअदालत में उपस्थित हुए एवं एक डाकेट व समझौता पत्र प्रस्तुत कर अपसी समझौता कर लिया गया . सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इन्दौर जिस कारण उक्त समझौते को स्वीकर कर लिया.अत: समझौता स्वेच्छा से एवं विधि सम्मत है.

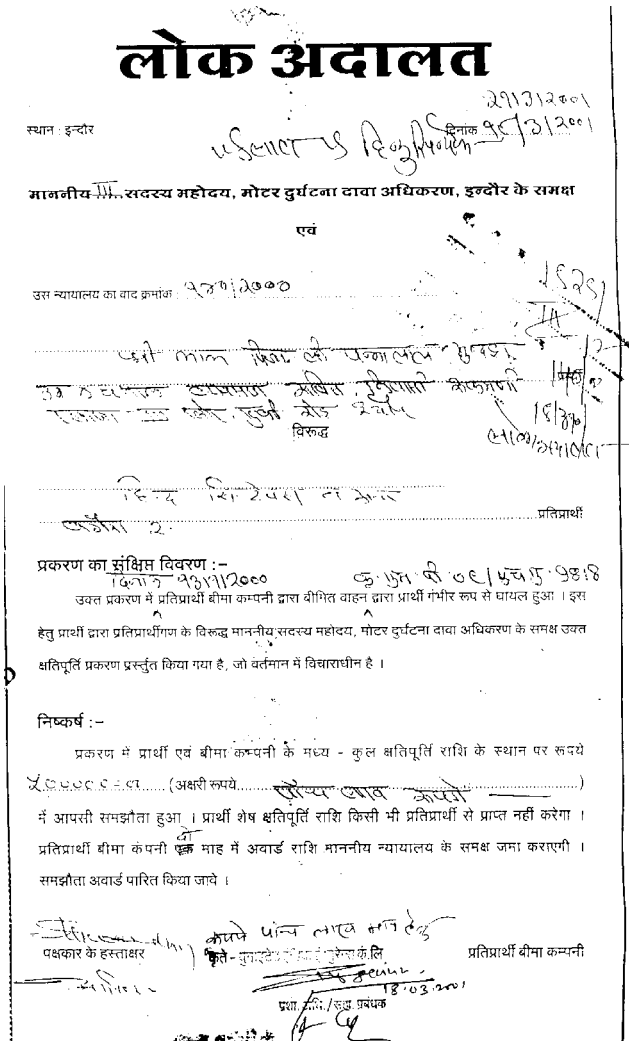

- इस दिनांक को यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी के अधिकारी



लोक अदालत

स्थान : इन्दौर दिनांक

माननीय III सदस्य महोदय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इन्दौर के समक्ष

एवं

उस न्यायालय का वाद क्रमांक :

विरूद्ध

प्रतिप्रार्थी

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

उक्त प्रकरण में प्रतिप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा बीमित वाहन द्वारा प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हुआ । इस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय सदस्य महोदय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उक्त क्षतिपूर्ति प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है ।

निष्कर्ष :-

प्रकरण में प्रार्थी एवं बीमा कम्पनी के मध्य - कुल क्षतिपूर्ति राशि के स्थान पर रूपये ........ (अक्षरी रूपये ........) में आपसी समझौता हुआ । प्रार्थी शेष क्षतिपूर्ति राशि किसी भी प्रतिप्रार्थी से प्राप्त नहीं करेगा । प्रतिप्रार्थी बीमा कंपनी एक माह में अवार्ड राशि माननीय न्यायालय के समक्ष जमा कराएगी । समझौता अवार्ड पारित किया जावे ।

पक्षकार के हस्ताक्षर कृते - प्रतिप्रार्थी बीमा कम्पनी

18.03.2001

प्रशा. /उप. प्रबंधक

एम.आई.शेख स्वयं लोक अदालत में अपने सहयोगी कर्मचारी एवं अधिकारी के साथ दिनांक १८.०३.२००१ को लोक-अदालत में उपस्थित हुए एवं उन्होंने अपनी ही कंपनी के साथ घोखाधड़ी और विश्वासघात कर तथा क्लेमेंट श्रीलाल मुन्दड़ा के साथ आपस में संगन्नमत होकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये उक्त समझौता किया जिसकी वजह से कंपनी को ५ लाख रूपयों की अनाधिकृत आर्थिक हानि उठानी पड़ी.

- दिनांक-०४.०४.२००१ को कंपनी के द्वारा रूपये-५,००,०००/- का भुगतान चेक क्रमांक-०५६०४३ दिनांक-२९.०३.२००१ को बैंक आफ इंडिया खजराना शाखा में जमा किया गया.

- दिनांक-०२.०५.२००१ को प्रार्थी के द्वारा एक आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया कि सम्पूर्ण धनराशी का भुगतान उसे किया जावे. इस पर न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जमा धनराशी रूपये- पाँच लाख में से रूपये-२,५०,००० रूपये प्रार्थी को एकाउंट पेई चेक के माध्यम से दिये जावे तथा शेष धनराशी में से रूपया १,००,००० पाँच वर्ष के लिये और रूपये १,५०,००० तीन वर्ष के लिये सावधि जमा रखने हेतु आदेशित किया जाता है. प्रार्थी का नवीनतम फोटोग्राफ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर प्रार्थी को वाउचर तैयार कर दिया जावे.

- दिनांक-०९.०५.२००१ को प्रार्थी के द्वारा एक आवेदन जिसमें यह लिखा था कि आवेदन पत्र के साथ उसके पुत्री के विवाह की पत्रिका संलग्न कर निवेदन किया कि उसे शेष धनराशी भी दिलाई जावे क्योंकि उसकी पुत्री की शादी में पाँच लाख रूपये का खर्चा प्रस्तावीत है. इस आवेदन पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और शेष धनराशी रूपये-२,५०,००० एकाउंट पेई चेक से प्रार्थी को वाउचर तैयार करने के आदेश दिये गये.

और इस प्रकार संपन्न हुए एक षड़यत्र जिसमें यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के सहा. प्रबन्धक एम.आई. शेख उनके अन्य सहयोगीयों अधिकारीयों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये व अपनी हीं कंपनी के साथ घोखाधड़ी व विश्वासघात कर क्लेमेट श्रीलाल मुन्दड़ा के साथ आपस में संगन्नमत होकर सरकारी खजाना में से रूपये -५,००,००० को लुटा जो जनता का लोकधन है.

**आर्थिक घोटाले जिसमें एमएसीटी की फर्जी दावा प्रकरण को तैयार कर बीमा कंपनी के अधिकारीयों अपनी ही कंपनी के साथ घोखाधड़ी और विश्वास घात कर एक क्लेमेट को ५ लाख रूपये का अनाधिकृत आर्थिक लाभ पहुँचाया तथा क्लेमेंट के साथ संगत्नमत होकर सरकारी खजाने को लुटा के बारे में कंपनी के एक सिनियर पेनल अधिवक्ता ने जो ओपिनियन दिया वह निम्नानुसार है .**

To

Respected In-charge,
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.,
Legal Cell,
INDORE, M.P.

SUBJECT : **YOUR FILE NO. INDORE-4395**
**CLAIM CASE NO. /2000**
**ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL, INDORE**
**SHRILAL MUNDADA / HIND SYNTEX**

Respected Sir,

The above referred official documents were provided to me legal opinion of the undersigned on corresponding liab the company in the said case. Therefore, according available documents on record in the above matter, I submit my legal opinion as under :-

**LEGAL OPINION**

1. That the Investigation Report of the investigator, treatment papers in detail, copy of the insurance policy are available in the record.

2. That as per the Investigation Report available record, when the applicant was coming towards Dewas in his Car No. MP09-HA-9818, the insured car turned down after cc with an unknown vehicle and the applicant got seriously ir

The police report of the accident was made to police Mehsana District Sehore on the second day.

Maruti Car No. MP09-HA-9818 was insured with the with Comprehensive cover, hence in this condition the Ow claim would have been preferred with the Company and claim is acceptable legally and payment has been made then under those circumstances as per the statement applicant in the investigation report the occurrence accident should be prima facie considered as true and cer

3. That from the facts on the record it is established accident has occurred due to negligent driving of the vehicle and there is no allegation on the car driver r his negligence. Hence under these circumstances, on the the fact that there has been no any negligence on the par car driver under sectin 166 of the Motor Vehicles Act, 1 applicant is entitled to get the amount of interim reli But under section 163-A of the Motor Vehicles Act, 1988 h supposed to prove negligence of any of the driver. proving the occurrence of the accident and the injuries resulting therefrom is enough.

4. That the applicant is post as Managing Director of M Syntex Limited and as per the records his yearly remunera Rs. 4,38,000-00 and apart from this he gets Rs. 1,75,000/ different heads.

or loss of income and the applicant since he has got Medicl policy, the medical expenses have been reimbursed to h Therefore under this situation the liability of the company sh be payment of compensation on account of bodily injury only.

4. That the certificate of permanent disablement issued by Naneria is available in the record. It is evident from certificate that percentage of disability is different accord to different parts of the body of applicant and the to percentage is 50%. But if this disability is seen in respect whole body, then surely it will be half of that stated by doctor. Dr. Naneria has also stated in his certificate that disability shown by him is in relation to present disability it cannot be said that the same shall be reduced in future not. But in fact with the regular exercise the perman disability shall be reduced and problem basically related applicant's muscular part and joints of the body.

The permanent disability is not clearly established by doctor's certificate. There is no loss of income to t applicant. The medical expenses have been reimbursed from other medical policies taken by the applicant. Hence under th circumstances, in my considered opinion the applicant's perman disability can be assumed between 10 to 15% and basing this the minimum liability of the company shall be the amount compensation calculated in the terms his age and income. As

1988 the applicable multiplier shall be 13 years and calculati the same with 10% permanent disability, this amount compensation shall work as 10% of Rs. 4,38,000-00 x 13 = R 5,69,400.00 and upon calculating the same with 15% the amount compensation works out to Rs. 8,54,100-00.

4. That the vehicle in which the applicant was travellin belongs to M/s. Hind Syntex Limited and the applicant is post as Managing Director of the said company. Under the Companies A the duly constituted limited company is a self legalised pers and its entity is legal. Therefore the Managing Director or t Director himself is not the company, instead he is only nominated person by the shareholders of that company and he ge his remuneration from the company for the work done by him f the company. Therefore, in my opinion legally constituted compa and its Managing Director or the Director are not one body b their personalities are different. The Director of the Managi Director are not permanent with the Company and the shareholde can remove them at any time. Therefore in this circumstances, t applicant is a Director of the company, hence for the sake insurance taken by the company, he cannot be called as fir person in my opinion but shall fall under parameter of the thi party only.

7. That the compensation payable under Section 166 of the Mot Vehicles Act is Rs. 25,000/- only but under Section 163-A of t

submission establishes between Rs. 5,00,000-00 to Rs. 8,00,000-00.

**CONCLUSION** :-

In my opinion the it will be surely beneficial for the Company if a compromise is met out within the minimum liability suggested and as per Section 163-A of the Motor Vehicles Act.

Yours faithfully,

Sd/-

[redacted]